

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या— 2195 / 2013.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान— सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम, वृत्त—सी, उदयपुर बनाम मैसर्स ट्रोपीलकल एक्चाकल्वर एवं फार्मिंग सिस्टम, उदयपुर।

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30.03.2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहर पुरी—सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा एवं अप्रार्थी की ओर से श्री विष्णुकान्त गर्ग अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी उप राजकीय अभिभाषक ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम, वृत्त—सी, उदयपुर का पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रत्यार्थी राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है। इसलिए विभाग हस्तगत प्रकरण को विझ्ञा करने की अनुमति चाहता है, तथा विभागीय प्रतिनिधि द्वारा भी प्रकरण विझ्ञा करने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी राजस्व के प्रार्थना पत्र व विभागीय प्रतिनिधि के अनुरोध पर प्रकरण विझ्ञा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वावल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">मनोहर पुरी (मनोहर पुरी) सदस्य</p>	